


2025/989

निर्णय  
02.01.2026

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
अनिल कुमार बनाम नारायण आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 655 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.12.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31.12.2025 को पेश हो। म.	 नारायण मनीष
29.12.2025	वकील वादी ने पत्रावली - पत्र मिशाल पेश करके यह पत्रावली को पेश में किया गया। कुलार्ड फरिक्सेन उपरिक्ता वादी वकील वादी सप. 1 व 2 ने हाजिर अकालत आकर शीजीनामा पेश किया। जिसे आड 12-13 व शीजीनामा पेश किया गया। पत्रावली करके स्टेट एग्राविक डायरेक्ट वादीफ 31.12.2025 को पेश हो। म.	
31.12.2025	<p>वकील वादी ने पत्रावली - पत्र मिशाल पेश करके यह पत्रावली को पेश में किया गया। कुलार्ड फरिक्सेन उपरिक्ता वादी वकील वादी सप. 1 व 2 ने हाजिर अकालत आकर शीजीनामा पेश किया। जिसे आड 12-13 व शीजीनामा पेश किया गया। पत्रावली करके स्टेट एग्राविक डायरेक्ट वादीफ 31.12.2025 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी ने पत्रावली - पत्र मिशाल पेश करके यह पत्रावली को पेश में किया गया। कुलार्ड फरिक्सेन उपरिक्ता वादी वकील वादी सप. 1 व 2 ने हाजिर अकालत आकर शीजीनामा पेश किया। जिसे आड 12-13 व शीजीनामा पेश किया गया। पत्रावली करके स्टेट एग्राविक डायरेक्ट वादीफ 31.12.2025 को पेश हो।</p>	
02.01.2026	<p>कुलार्ड फरिक्सेन उपरिक्ता वकील वादी ने पत्रावली का अनुमोदन किया गया। पत्रावली पर उपरिक्ता रिजार्ड आउट व वकील वादी के शीजीनामा के आधार पर वाद की डिक्ली किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखापत्र जाकर शीजीनामा पेश किया जाये। पत्रावली नम्बर से वाद की जाकर आड 12 व 13 व शीजीनामा पेश करके दाखिल दफ्तर् हो। म.</p>	

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

